न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—20/2018 (2018/00050) वाद पत्र

अनवान

1—गेहरू आत्मज भुरा कुम्हार निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—शंकरलाल आत्मज उदयराम तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शंकरलाल आत्मज कालुराम तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादी
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम आसुणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 424 रकबा 0.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 32 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ पेश की। वादी के खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि ग्राम मोखुन्दा से पालरां जाने वाली मुख्य सड़क के पास स्थित है। वादी की उक्त आराजी के पास ही आराजी संख्या 423 व 422 स्थित है जिसमें दोनो आराजियात के मध्य करीब 36 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ते हुए इन आराजियात के खातेदारो ने सड़क से सटमा आराजी संख्या 422 व 423 में आगे की तरफ मार्बल की फेक्ट्रिया लगा रखी है तथा उक्त दोनो आराजियात के पिछे की तरफ भूमियां खाली पड़ी हुई है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पत्थर पीसने की फैक्ट्री लगा रहे हैं। आराजी संख्या 422 व 423 में पूर्व में जो आगे की तरफ फक्ट्रीया लगी हुई है उसमें विद्युत कनेक्शन दोनो आराजी के बीच छुटे हुए रास्ते में विद्युत पोल लगाकर ले रखी है। प्रतिवादीगण ने आराजी संख्या 422 व 423 मे जो फेक्ट्रिया लगने के बाद पिछे की तरफ जो भूमियां खाली पड़ी है उसमें प्रतिवादीगण नये सिरे से पत्थर पीसने की फैक्ट्री डाल रहे है और उस पर विद्युत कनेक्शन ले रहे है। अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण उनकी दोनो आराजियात में छुटे हुए 36 फीट रास्ते से विद्युत पोल नही लगाकर वादी की आराजी संख्या 424 रकबा 0.43 है0 में अनाधिकृत रूप से एवं बिना किसी विधिक अधिकार के बिना मेरी सहमति व जानकारी के विद्युत पोल के खड्डे खोद कर रख दिये और फिर उनको रात के समय आकर प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] ने विद्युत पोल रोप दिये। जब वादी मोके पर गया तो तो बताया कि [illegible]। दिनांक 03.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 3 के यहां विद्युत पोल को हटाने का [illegible] पत्र प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने आश्वस्त किया कि तुम्हारे [illegible] जायेगें। विद्युत पोल [illegible] अनाधिकृत रूप से रोपे गये हुए थे उनको नही हटाया गया और तार लाकर रख दिये मौके पर मेने प्रतिवादीगण को रोकना चाहा तो नही माने जिससे वादी को वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादी की आराजी संख्या 424 वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त उसमें प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

पोल रापने, अनाधिकृत रूप से नुकशान कारित करने एवं क्षतिग्रस्त करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादी को परेशान कराना चाहते है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजी संख्या 424 रकबा 0.43 है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार के विद्युत पाल नही लगावे न ही विद्युत लाईन इस आराजी मे से होकर ले जावे तथा वादी की बिना सहमति और बिना जानकारी के अनाधिकृत रूप से रोपे गये चार विद्युत पोलो को तुरन्त प्रभाव से हटावें व वादी को उसकी आराजी से बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और दोराने वाद प्रतिवादीगण किसी प्रकार के विद्युत पोल, विद्युत लाईन डलवा दी जावे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाया जावे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर जवाब में वादपत्र को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि वर्तमान में आराजी संख्या 422 व 423 नम्बर की कोई आराजी ही नही है न ही दोनो आराजी के बीच 36 फीट चौड़ा रास्ता ही है। मौके पर जहां वादी फैक्ट्रिया बता रहा है वहां पर आराजी संख्या 1283/422 व आराजी संख्या 1284/423 ओद्योगिक भूमि है जिसमें ग्रेनाईट ब्लॉक कटिंग की मशीनरी लगी हुई है। तथा दोनो के मालिक अलग अलग है तथा दोनो फैक्टियों के मध्य 20 फीट चोड़ा रास्ता ही है जिसमें ट्रेलर निकलते है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा आराजी संख्या 1282/422 व आराजी संख्या 1285/423 औद्योगिक भूमि गोपीलाल पिता नोला तेली से क्रय की गई तथा उसमें फेल्सपार पीसने की मशीनरी लगाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी द्वारा औद्योगिक भूमि में फैक्ट्री लगाई गई है तथा उक्त फैक्ट्री में बिजली विभाग द्वारा के नॉम्स एवं उनके इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर पूरे सुरक्षा मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए वादी की सहमति से उसकी आराजी की पाली पर लगाई गई हैं। वादी की सहमति से प्रतिवादी की फैक्ट्री में 11000 ग्यारह हजार वोल्ट की लाईन दिनांक 31.3.2018 को देकर कनेक्शन दिया गया। बिजली विभाग द्वारा वादी के सामने ही पोल व कनेक्शन किया गया है। रात्री में कोई काम नहीं किया गया तथा न ही वादी को पुनः पोल हटाने का कोई आश्वासन ही दिया गया। दिनांक 2.4.2018 व दिनांक 3.4.2018 तथा दिनांक 20.4.2018 की बात वादी द्वारा गलत अंकित की गई हैं। प्रतिवादी की फैक्ट्री में दिनांक 31.3.2018 को ही कनेक्शन कर दिया गया था तथा उसके एक माह पहले ही विद्युत पोल लगा दिए थे। वादी द्वारा इस दावे में तमाम तथ्य झूठे एवं बनावटी अंकित किए गए हैं। वादी द्वारा आगे की दोनो फैक्ट्रियों के मध्य 36 फिट चौडा रास्ता बताया गया है जबकि मौके 20 फिट चौडा रास्ता ही है तथा उस रास्ते से बड़े ट्रेलर निकलते हैं जिससे उस रास्ते में 11000 ग्यारह हजार वोल्ट की लाईन निकालने से बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। वादी द्वारा बताए गए रास्ते में विद्युत लाईन डाला जाना सुरक्षा के मापदण्ड के विपरीत होने से वहां लाईन नहीं डाली गई। प्रतिवादी की फैक्ट्री में दिनांक 31.3.2018 को ही वादी की भूमी पर विद्युत पोल लगाए गए तब वादी ने कोई आपत्ति नहीं की। बिजली विभाग द्वारा वादी को कोई नुकसान नहीं हो उसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

ध्यान में रखते हुए उसकी आराजी की पाली पर पोल लगाए गए। वादी की भूमी में प्रतिवादीगण द्वारा न तो अनाधिकृत प्रवेश किया गया तथा न ही वादी को कोई नुकसान ही कारित किया गया है। प्रतिवादीगण वादी को परेशान नहीं कर रहें हैं तथा न ही वादी की जमीन खरीदना चाहते हैं बल्कि सत्यता यह है कि प्रतिवादी द्वारा जमीन क्रय करने के बाद उस पर उद्योग लगाने पर वादी की नियत में फितूर आ गया तथा वादी प्रतिवादी को धमकी देने लगा कि मुझे एक लाख रूपए और दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फेक्ट्री नहीं चलने दुंगा तथा शिकायत करके तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवा दुंगा। प्रतिवादी द्वारा वादी की मांग पूरी नहीं करने पर वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर कनेक्शन होने के बाद झूठी शिकायते करना शुरू कर दिया तथा प्रतिवादी के विरूद्ध झुंठा वाद पेश कर दिया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। मजीद कथन के रूप में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के उद्योग पर राज्य सरकार के आदेशानुसार व नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा नियमानुसार एवं सुरक्षा के मापदण्डो को ध्यान में रखते हुए वादी की सहमति से उसकी आराजी की पाली पर विद्युत पोल लगाकर 11000 वोल्ट की विद्युत कनेक्शन दिनांक 26.04.2018 को जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से वादी द्वारा 1 लाख रूपये अवैध मांग करने से प्रतिवादी नही देने पर झुठा वाद पेश कर दिया। प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है तथा उनके विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व उन्हे 2 माह का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु 2 माह पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया जिससे वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब में अंकन किया कि ग्राम आसुणा में विद्युत लाईन जो अप्रैल 2018 में प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन आवेदन पर नियमानुसार डिंमाड राशि जमा कराने पर सरल रास्ता अनुसार विद्युत लाईन खींची गई थी जो वर्तमान में भी चालु है एवं मौके पर लाईन लगी हुई है। जानकारी करने पर पता चला कि जब लाईन का कार्य हुआ तब उक्त लाईन के कार्य पर किसी प्रकार का विवाद या कोई न्यायिक स्थगन नही था। अतः विद्युत लाईन को खीचने हेतु सरल रास्ता बिना विवाद होने पर उक्त लाईन 2018 में खीची गई जो सही है। आवेदित प्रार्थीयो को विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत लाईन बिलानाम अथवा खातेदारी आराजी में से खीची जाती है जिससे प्रार्थीयो की विद्युत सप्लाई चालु होती है। यह एक सतत् निगम की प्रकिया है जिसके तहत् उक्त लाईन कार्य उक्त समय में किया गया। निगम द्वारा जो विद्युत लाईन गेहरू लाल पिता भुरा जी कुम्हार द्वारा गलत बताई जा रही है मौके पर लाईन सही खीची गई एवं चालु है एवं उपभोक्ता को विद्युत सप्लाई की जा रही है एवं उक्त लाईन के कार्य के समय वादी के किसी प्रकार कि फसल या अन्य कोई नुकसान नही हुआ है एवं वर्तमान भी उक्त लाईन से वादी को किसी प्रकार से नुकसान नही है।

प्रकरण समर्थन में वादी के बयान कराये गये जिसमें वादी द्वारा कहा गया कि आराजी संख्या 422 व 423 पूर्व मेरे पिता व मेरे काका 4 भाई थे उनके नाम पर दर्ज थी। आराजी संख्या 422, 423 को मेरे काका द्वारा दुसरे [illegible] दी। आराजी संख्या 422, 423 पर मौके पर फैक्ट्रिया लगी हुई है और 1 फैक्ट्री अब [illegible] है। बिजली विभाग द्वारा बड़ी लाईन खेतो मे होकर ही निकाल रखी [illegible] प्रतिवादी [illegible] के लाईन ले जाने हेतु रास्ता 36 फीट का निकला हुआ है। वर्तमान में जो फैक्ट्रिया लगी हुई है उसका रास्ता 20 फीट चोड़ा है। विद्युत विभाग द्वारा खेतो में जो पोल लगा रखे है उसमें भी खेती होती है।

प्रतिवादी द्वारा 2 के द्वारा अपने बयान में कहा कि आराजी संख्या 422, 423 के आगे के हिस्से में फैक्ट्रिया लगी हुई है और बीच में 20 फीट चौड़ा रास्ता है जिसमें बड़े बड़े

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

ट्रेलर आते है। दावा के 1 महिने पहले ही कनेक्शन हो गया था। मेने जानबुझकर वादी की जमीन में कोई पोल नही लगाये बल्कि बिजली विभाग ने लगाये है।
दोनो अधिवक्तओ की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दाहराते हुए वाद स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद के आधार पर वाद को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन करने से पाया कि वादी की खातेदारी भूमि की मेड़ पर विद्युत विभाग के द्वारा पोल खड़े कर विद्युत लाईन निकाली गई है जिससे वादी को उसके स्वयं के बयान अनुसार कोई नुकसान नही हो रहा है और विद्युत लाईने खातेदारी या बिलानाम भूमि में मौकास्थिति अनुसार निकाली जाती है। और विद्युत लाईन के पोल खड़े करने से पहले विद्युत विभाग का सर्वे किया जाता है और सर्वे के दौराने जहां विद्युत लाईन निकालना प्रस्तावित होती है उस सीध मे चाहे खातेदारी भूमि हो या बिलानाम भूमि हो लाईन निकाली जाती है। इस प्रकरण में प्रतवादी संख्या 3 के कथनानुसार बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार डिंमाड राशि जमा कराने पर सरल रास्ता अनुसार विद्युत लाईन खींची गई थी जो वर्तमान में भी चालु है एवं मौके पर लाईन लगी हुई है। आज दिनांक में भी कई खातेदारी भूमियों में विद्युत लाईने होकर गुजर रही है। वादी का कथन है कि मौके पर 36 फीट चोड़ा सरकारी रास्ता उपलब्ध है जिसमें विद्युत लाईन निकाली जा सकती थी और प्रतिवादी का कथन है कि मौके पर 20 फीट चौड़ा ही रास्ता है जिसमें बड़े बड़े ट्रेलर का आवागमन होता है उक्त 20 फीट चोड़े रास्ते से विद्युत लाईन नही निकाली जा सकती है। वादी मौका स्थिति का सर्वे विद्युत विभाग से कराने में स्वंतत्र है अगर विद्युत विभाग उचित समझे और मौके पर 36 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध हो तो विद्युत विभाग वादी को सहायता प्रदान कर सकता है। इस कार्य के लिये वादी स्वंतत्र है। वर्तमान प्रकरण की नोयत को देखते हुए वाद और प्रतिवादी के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–20/2018 (2018/00050) वाद पत्र

अनवान

1–गेहरू आत्मज भुरा कुम्हार निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–शंकरलाल आत्मज उदयराम तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–शंकरलाल आत्मज कालुराम तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested